न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर कोर्ट केम्प रामसर

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 37/2016

अपीलांट

ऐसान खान पुत्र दायम खान गांव उभरे का पार तहसील रामसर जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटस

1. कंभीर पुत्र ओभाया
2. लुपत पुत्र ओभाया
3. लुंगा पुत्र ओभाया
4. शरीफ पुत्र कासम
5. मिट्ठू पुत्र फोटा
6. सलीम पुत्र फोटा
7. ईंधल पुत्र आलम
8. हामीद पुत्र आलम
9. सुराब पुत्र आलम
10. मठार पुत्र जाम
11. दायम पुत्र जाम
12. रसूल पुत्र जाम
13. सुमार पुत्र ताजा
14. अरबाब पुत्र ताजा
15. अकबर पुत्र ताजा
16. चॉदी बेवा ताजा
17. मुसलिस लखमो बेवा सचू जातियान मुसलमान गांव उभरे का पार तहसील रामसर
18. बैंक मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा रामसर जिला बाड़मेर
19. जमाल पुत्र जाम
20. तहसीलदार रामसर बजरिये राजस्थान सरकार
21. इजत बेवा आलम

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 643 दिनांक 29.7.2015 द्वारा तहसीलदार रामसर

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

उपस्थित– 1. अपीलांट उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट सं. 01, 02, 13 व 17 उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 20 की ओर से ना.तहसीलदार रामसर उप0

आदेश दिनांक 06.06.2017

1. संक्षेप में अपीलान्ट की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि मुस्मात लखमो बेवा सचू द्वारा ग्राम गरड़िया तहसील रामसर के खसरा नंबर 43, 92, 137, 169, 387/137, 389/137 व 422/169 में से अपने हिस्से की कब्जे व काश्त की भूमि जरिये दान पत्र अपनी जायन्दा पुत्री इस्मत पत्नी लूंगा के पक्ष में दान किये जाने पर उक्त दान पत्र के आधार पर तहसीलदार रामसर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 643 दिनांक 29.7.2015 पारित किया गया है। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किया।
2. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की।
3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार "न्याय आपके द्वार" के तहत राजस्व कोर्ट केम्प रामसर में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान एवं अभिभाषकगण को नोटिस की तामीली करा दी गई।
4. अपीलांट का कथन हैं कि मुस्मात लखमो बेवा सचू द्वारा ग्राम गरड़िया तहसील रामसर में अपने हिस्से की कब्जे व काश्त की भूमि जरिये दान पत्र अपनी जायन्दा पुत्री इस्मत पत्नी लूंगा के पक्ष में दान की गई है, जो मुस्लिम लॉ अनुसार गलत है। उक्त दान पत्र के आधार पर तहसीलदार रामसर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 643 दिनांक 29.7.2015 पारित किया गया है, जो खारिज किया जाऐं।
5. रेस्पोडेंट संख्या 01, 02, 13 व 17 ने लिखित में कथन किया कि लखमो अपने हिस्से की भूमि दान करने हेतु स्वतंत्र थी एवं उसे विधि सम्मत अधिकार प्राप्त थे। लखमो

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

द्वारा किये गये दान पत्र के आधार पर तहसीलदार रामसर द्वारा इस्मत के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 643 दिनांक 29.7.2015 स्वीकृत कर लखमो के स्थान पर इस्मत का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया तथा मौके पर इस्मत का कब्जा व काश्त है। लखमो ने अपनी जायंदा पुत्री इस्मत के पक्ष में दान जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र के किया है। रजिस्टर्ड दान पत्र को सर्वप्रथम सिविल न्यायालय से निरस्त करवाया जाना चाहिऐ था परन्तु अपीलांट से ऐसा नहीं करने बेबुनियाद एवं सारहीन तथ्यो के आधार पर यह अपील पेश की है, जो खारिज की जायें।

6. हमने अपीलांट के कथन एवं रेस्पोडेंट संख्या 01, 02, 13 व 17 के लिखित कथन पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार रामसर द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 643 दिनांक 29.7.2015 के विरूद्व पेश की है। प्रकरण में मुस्मात लखमो बेवा सचू द्वारा अपने हिस्से की कब्जे व काश्त की भूमि जरिये दान पत्र अपनी जायन्दा पुत्री इस्मत पत्नी लूंगा के पक्ष में दान किये जाने पर उक्त दानपत्र के आधर पर तहसीलदार रामसर द्वारा दिनांक 29.7.2015 को नामान्तरकरण संख्या 643 स्वीकृत किया गया तथा इस्मत का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। मुस्लिम विधि के अनुसार "दान" जुबानी भी किया जा सकता है और उसका लिखित होना अथवा रजिस्टर्ड दस्तावेज के द्वारा किया जाना आवश्यक नहीं है। प्रकरण में तथाकथित दान पत्र के जरिये मुस्मात लखमो बेवा सचू द्वारा इस्मत के पक्ष में दान की गई भूमि दानदाता के जीवनकाल में स्वीकार भी की जा चुकी है तथा उक्त भूमि पर इस्मत पत्नी लूंगा काबिज होकर उसका लगातार कब्जा काश्त है।

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

7. मुस्मात लखमो बेवा सचू ने अपनी जायन्दा पुत्री इस्मत पत्नी लूंगा के पक्ष में दान जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र के किया है तथा उक्त रजिस्टर्ड दान पत्र को सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये जाने की कार्यवाही अपीलांट द्वारा नहीं की गई। मामले में अपीलांट का हक किस प्रकार प्रभावित हुआ है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। प्रकरण में दान जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र किया गया है एवं इस दान पत्र का ज्ञान अपीलांट को पहले से ही था, तत्समय अपीलांट द्वारा कोई उजर एतराज पेश नहीं किया गया एवं तथाकथित भूमि पर इस्मत पत्नी लूंगा का काबिज होना एवं लगातार उसका कब्जा काश्त होने का तथ्य अपीलांट के ज्ञान में हाते हुए भी अपील देरी से

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

प्रस्तुत करने के पर्याप्त और उपयुक्त कारण धारा 5 परिसीमन एक्ट के प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये गये है। अतः तहसीलदार रामसर द्वारा पारित किया गया नामान्तरकरण संख्या 643 दिनांक 29.7.2015 विधि सम्मत होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की अपील समयावधि पार होने एवं गुणावगुण के आधार पर सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

आदेश कोर्ट केम्प रामसर में आज दिनांक 06.06.2017 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)